कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
उत्तराखंड, ऑडिट भवन, कौलागढ,
देहरादून-248195

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Office of the Accountant General (A&E)
Uttarakhand, Audit Bhavan, Kaulagarh,
Dehradun-248195

दूरभाष: 0135-2970866, फैक्स: 0135-2970859, https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/en, E-mail: agaeuttarakhand@cag.gov.in

प . संख्या: WAD/AGUK/Correspondence/I/1322673/2026
दिनांक: 20-02-2026

<u>परिपत्र</u>

विषय: प्रभागों में खनिज राजस्व (Royalty/e-MM-11) से संबंधित अभिलेखों की गम्भीरतापूर्वक जांच किये जाने के संबंध में।

सभी खंडीय लेखाकार संवर्ग को अवगत कराया जाता है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के संज्ञान मे प्रभागों में खनिज परिवहन प्रपत्रों (Royalty/e-MM-11) के कूट रचित /फर्जी अभिलेखों का प्रयोग कर राजकीय राजस्व की हानि का प्रकरण लाया गया है । विदित है कि बिजनौर जिले के सिंचाई प्रभाग मे तैनात खंडीय लेखाकार संवर्ग द्वारा बिलों की जांच मे खनिज परिवहन प्रपत्रों (Royalty/e-MM-11) के कूट रचित /फर्जी अभिलेखों का संदेह होने पर प्रकरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश को सूचित किया गया था जिसकी जांच किए जाने पर उक्त अभिलेखों के कूट रचित /फर्जी होने की पुष्टि के साथ- साथ राजकीय राजस्व की हानि भी हुई है ।

अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उत्तराखंड राज्य के सभी कार्य प्रभागों यथा (PWD, Irrigation, Minor Irrigation, RWD, PMGSY) मे तैनात खंडीय लेखाकार संवर्ग के कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि बिल भुगतान से पूर्व विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिज परिवहन प्रपत्रों (Royalty/e-MM-11) की समुचित जांच अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए जिससे किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता, राजस्व हानि अथवा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। किसी भी प्रकार की विसंगति/अनियमितता पाये जाने पर तत्काल प्रकरण को प्रभागीय अधिकारी /अधिशासी अभियंता के संज्ञान मे लाए एवं विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट (समर्थन अभिलेखों सहित) इस कार्यालय को भी प्रेषित करें ।

Digitally signed by
Subhash Chander Mamgain
Date: 20-02-2026 12:42:41
उप महालेखाकार/प्रशासन एवं निधि

प्रष्ठानकन संख्या: WAD/AGUK/Correspondence/I/1322673/2026
दिनांक: 20-02-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित एवं अविलंब आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग यमुना कालोनी देहरादून को इस आशय से कि

अपने अधीनस्थ सभी अधिशासी अभियंताओ को उपरोक्तानुसार निर्देशित करें।

2. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी देहरादून को इस आशय से कि अपने अधीनस्थ सभी अधिशासी अभियंताओ को उपरोक्तानुसार निर्देशित करें।
3. प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लुघ सिंचाई विभाग,यमुना, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी जोगीवाला, देहरादून को इस आशय से कि अपने अधीनस्थ सभी अधिशासी अभियंताओ को उपरोक्तानुसार निर्देशित करें।
4. मुख्य अभियंता स्तर-I, ग्रामीण निर्माण विभाग,तपोवन चौक देहरादून को इस आशय से कि अपने अधीनस्थ सभी अधिशासी अभियंताओ को उपरोक्तानुसार निर्देशित करें।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ,प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना विभाग, यू०आर०डी०ए०,पंचायत राज भवन, सहस्त्रधारा रोड, आई० टी० पार्क के समाने, देहरादून को इस आशय से कि अपने अधीनस्थ सभी अधिशासी अभियंताओ को उपरोक्तानुसार निर्देशित करें।
6. समस्त उत्तराखण्ड खंडीय लेखाकार संवर्ग।

वरि० लेखाधिकारी/वन एवं निर्माण लेखा